

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-जीओ-72/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(सामान्य)11-12

दिनांक 05 जुलाई-2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-1150/38-4-10-7-बजट/2010, दिनांक 30-6-2011 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-13 के अधीन इंदिरा आवास योजना हेतु प्रावधानित धनराशि में से योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2011-12 में से द्वितीय त्रैमास हेतु रु0 234050000 (रूपये तेईस करोड़ चालीस लाख पचास हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :-

1- आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात् आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवंटित की जा रही धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3- नवसृजित जनपद छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को अभी तक केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस जनपद की धनराशि इसके पैतृक जनपदों रायबरेली व सुल्तानपुर को आवंटित की जा रही है। उक्त सम्बन्धित जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध कराये।

4- आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जायेगा।

5- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों एवं संलग्न शासनादेश दिनांक 30-06-2011 में दिये गये निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये।

6- आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इसे समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-05-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0-75/रा0-25-रा0)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ-186 पर कर ली गयी है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

मवेदीय,
5774
(सजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
२

पत्रांक:- जीओ-72/सम्प्रेक्षा/आई०ए०वाई(सामान्य) 2011-12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
- 4- सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 5- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 6- समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 7- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ०प्र०।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
राज्य योजना आयोग-2 नियोजन अनुभाग-4
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 10- विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग-4 को उनके पत्रांक-1150/
38-4-10-7-बजट/2010, दिनांक 30-6-2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०
२

पत्र संख्या-जीओ-72/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(सामान्य)/2011-12, दिनांक-5 जुलाई 2011 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.00	0.00
2	GHAZIABAD	0.00	0.00
3	BULANDSHAHAR	23.74	49.70
4	G.B. NAGAR*	0.00	0.00
5	BAGPAT	0.00	0.00
6	SAHARANPUR	33.39	69.90
7	MUZAFARNAGAR	54.97	54.97
8	MORADABAD	36.22	75.81
9	BIJNOR	35.87	75.09
10	RAMPUR	20.99	43.93
11	J.B.F. NAGAR	10.73	22.45
12	BAREILLY	27.37	57.30
13	BADAUN	39.45	82.57
14	SHAHJAHANPUR	42.13	88.19
15	PILIBHIT	35.70	74.72
16	AGRA	23.16	48.47
17	MAINPURI*	15.86	33.19
18	MATHURA	13.32	29.43
19	FIROZABAD	0.00	0.00
20	ALIGARH	0.00	0.00
21	ETAH	14.31	29.97
22	KANSHIRAM NAGAR	11.06	23.15
23	HATHRAS	0.00	0.00
24	JHANSI	8.95	18.74
25	JALAUN	10.13	21.20
26	LALITPUR	7.40	15.49
27	BANDA	8.91	18.65
28	HAMIRPUR	5.96	12.48
29	MAHOBA	4.52	9.46
30	CHITRAKUT	5.44	11.39
31	ALLAHABAD	35.03	73.31
32	FATEHPUR	30.99	64.87
33	PRATAPGARH	34.17	71.52
34	KAUSHAMBHI	18.97	39.72
35	KANPUR NAGAR	24.50	51.29
36	KANPUR DEHAT	23.89	50.00
37	ETAWAH	16.79	35.15
38	FARRUKHABAD	19.91	41.66




पत्र संख्या-जीओ-72/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(सामान्य)/2011-12, दिनांक-5 जुलाई 2011 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
39	KANNAUJ	14.79	30.95
40	ORRAIYA	16.54	34.61
41	VARANASI	19.13	40.05
42	GHAZIPUR	34.53	72.28
43	JAUNPUR	66.73	139.68
44	CHANDAULI	16.10	33.70
45	MIRZAPUR	22.29	46.66
46	SONBHADRA	16.63	34.81
47	S. R. NAGAR	13.57	28.40
48	LUCKNOW	26.18	54.80
49	SITAPUR	85.74	179.48
50	UNNAO	47.50	99.42
51	HARDOI	50.17	105.01
52	KHERI	142.68	298.65
53	RAE BARELI	43.47	90.99
54	GORAKHPUR	66.22	138.61
55	DEORIA	72.13	150.98
56	KUSHINAGAR	227.76	476.73
57	MAHRAJGANJ	59.94	125.47
58	BASTI	39.42	82.50
59	SIDHARTHANAGAR	24.92	52.17
60	S.K.NAGAR	24.07	50.38
61	AZAMGARH	50.81	106.34
62	MAU	19.29	40.37
63	BALLIA	75.20	157.42
64	FAIZABAD	25.99	54.40
65	BARABANKI	64.40	134.83
66	SULTANPUR	38.35	80.27
67	AMBEDKARNAGAR	21.87	45.77
68	GONDA	73.79	154.45
69	BAHRAICH	82.15	171.94
70	BALRAMPUR	35.62	74.56
71	SHRAWASTI	28.69	60.05
	STATE TOTAL	2340.50	4840.50

(रु० तेईस करोड़ चालीस लाख पचास हजार मात्र)


(महेश कुमार अग्रवाल)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

प्रेषक,

रुद्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ०प्र०, लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक- 30 जून, 2011

विषय:-इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष-2011-12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-705/सम्प्रेक्षा/इ०आ०यो/2011-12, दिनांक- 07 जून, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2011-2012 के लिए अनुदान संख्या-13 में बजट प्राविधानित धनराशि रू०-100.00 करोड़ में से शासनादेश संख्या-677/38-4-11-07 बजट/2010, दिनांक- 07 अप्रैल, 2011 द्वारा रू०-25.00/-लाख(रूपये पचीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू०-75.00 करोड़ में से द्वितीय त्रैमास हेतु रू०-2340.50 लाख (रूपये रूपये तेइस करोड़ चालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण पूर्व स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त किया जायेगा तथ भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

5- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

6- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

Aravind
3/7/11

- 7- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-05-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0-75/रा-25-रा0)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सकें।
- 9- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-438/दस-2011 दिनांक- 27 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1150(1)/38-4-10 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/7
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।